(b) whether it is also a fact that an amount of more than one lakh of rupees was sanctioned for the construction of Tourist Hotel at Burhanpur; and

(c) if so, has the work begun, if not, why?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) No, Sir. However, within the resources available facilities are being developed in the Central Sector at tourist centres which are already popular with international tourists or have the potential to attract them such as Khajuraho, Sanchi, Mandu, Kanha National Park, Bhopal.

(b) No funds have been sanctioned in the Central Sector for the construction of a tourist hotel at Burhanpur.

(c) Does not arise.

Trade Promotion Office for Marine Products Export Development Authority

3219. SHRI H. L. P. SINHA: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether a Trade Promotion Office has been sanctioned for the Marine Products Export Development Authority at New Delhi;

(b) if so, the date of sanction and the details of posts sanctioned for the said office;

(c) the date from which the authority hired the premises for the said office and the duration for which the premises were kept vacant and the loss incurred on account thereof;

(d) whether a regular Trade Promotion Officer has since been posted; and

(e) the details of Trade Promotion work done in the said office so far excluding the liaison work with the Ministry of Commerce to clear personal cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) and (b). A Trade Promotion Office at New Delhi for the Marine Products Export Development Authority was sanctioned on 26.11.1976. One post of Trade Promotion Officer in the scale of Rs. 700—1300 and one Junior stenographer in the scale of Rs. 330—560 have been sanctioned for this office.

(c) The office premises were hired by the Authority w.e.f. 1st February, 1977. The premises were kept vacant for three and half months. A sum of Rs. 7875/- was paid as rent for this period.

(d) While no regular appointment has been finalised as yet an Assistant Director from the Authority in the same grade has since been posted.

(e) The Trade Promotion Office carried liaison work with various Ministries on behalf of the Authority. It has also on behalf of MPEDA organised a Seminar on the import of deep sea fishing trawlers and organised Authority's participation in Agri Expo '77'. The office is making arrangements for a seminar on market survey of marine products in USA/Canada. The Trade Promotion Office also maintained close liaison with foreign Missions in Delhi and had been furnishing necessary information and guidance to them, overseas buying agents and prospective exporters.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण

3220. **श्री छोतभाई गमित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी

हैं और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं ;

(ख) क्या आदिवासियों तथा हरिजनों के लिए आरक्षित सभी स्थान भर दिये गये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन आरक्षित पदों पर आदिवासी तथा हरिजन प्रत्याशी कब तक नियुक्त किये जायेंगे, और इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों को पर्यवेक्षी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में बांटा गया है । 31-12-1976 को प्रत्येक संवर्ग में कर्मचारियों की कुल संख्या के संबंध में जानकारी और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है जो सभा पटल पर रख दिया गया है **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०--1307/77] ।

(ख) और (ग). इन बैंकों ने रिपोर्ट दी है कि इन जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के कारण आरक्षित स्थानों का कोटा भरा नहीं जा सका ।

सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को सलाह दी है कि सभी आरक्षित खाली पदों को यथा शीघ्र भरें । इसके अतिरिक्त इन बैंकों को नीचे दिए विशेष उपायों को अपनाने की भी सिफारिश की गई है :

(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए निम्नतर अर्हताएं और अर्हकारी मानदण्ड निर्धारित करें ;

(2) अधीनस्थ कर्मचारियों की अस्थायी नियक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तक सीमित करें ।

(3) भर्ती के लिए विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए प्रतिशतता को स्पष्टतः निर्दिष्ट करें;

(4) सरकारी हिदायतों के अनुसार आरक्षित पदों का व्यापक प्रचार करें ।

(5) प्रत्येक मुख्य भर्ती के बाद बैंक द्वारा भर्ती किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या और उनकी प्रतिशतता में कमी (यदि कोई हो), और सभी पदों के न भरे जाने के कारण के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पेश की जाए;

(6) अपने भर्ती कार्यालयों को आरक्षित आदेश दें कि भर्ती की परीक्षा के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में भर्तीपूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों से संपर्क करें ;

(7) आरक्षित पदों को अनुसूचित जन जातियों/अनुसूचित जातियों के कल्याण की देख भाल करने वाली संस्थाओं विशेष निकायों को सूचना दें तथा उन्हें योग्य उम्मीदवारों को भेजने का अनुरोध करें ।

अपनी सेवाओं में इन जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ बैंकों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्ण रूप से विशेष भर्ती की पद्धति को भी अपनाया है ।

New Banking Policy for Improvement of Cultivators

3221. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any new Banking Policy for the improvement of